तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3067/2005/भरतपुर रामलाल बनाम बादामसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री खडगसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 18.12.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04-05-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 1409 रकबा 08बीघा 12बिस्वा के 1/3 हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने बाबत् प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28-05-1997 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर पत्थर डालकर निर्माण किये जाने पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने अवमानना का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2-ए जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 08-08-2000 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3067/2005/भरतपुर रामलाल बनाम बादामसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 04-05-2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर कोई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी पर पत्थर डालकर निर्माण करने सम्बन्धी तथ्य को स्वयं अप्रार्थीगण द्वारा भी इन्कार नहीं किया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस देने के पश्चात् डिकी पारित की गयी व अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 1409 की 12बीघा 08बिस्वा भूमि के प्रार्थी के हिस्से की भूमि की हद तक प्रार्थी को बेदखल न करने व निर्माण कार्य नहीं करने बाबत् आदेश पारित किया। अप्रार्थीगण ने उक्त आदेश पारित किये जाने के उपरान्त विवादित आराजी पर पत्थर डालकर निर्माण कार्य किया है, जो स्पष्टतयाः पारित आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है तथा प्रार्थी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में उक्त तथ्य को प्रमाणित कराया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अवमानना का प्रार्थनापत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3067/2005/भरतपुर रामलाल बनाम बादामसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय की आदेश की अवहेलना का दोषी मानते हुए कठोर सजा से दण्डित किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित खसरा नम्बर के 1/3 हिस्से का ही प्रार्थी खातेदार काश्तकार है शेष रकबे के अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनलांक 28-05-1997 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया, जिसकी तामील अप्रार्थीगण पर विधिवत् नहीं करवाई गयी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की जानबुझकर अवहेलना किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं निगराधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 1409 रकबा 08बीघा 12बिस्वा के 1/3 हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने बाबत् प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28-05-1997 को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3067/2005/भरतपुर रामलाल बनाम बादामसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर पत्थर डालकर निर्माण किये जाने पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने अवमानना का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2-ए जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 08-08-2000 से खारिज कर दिया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करने के उपरान्त यह मानते हुए कि प्रार्थी विवादित खसरा नम्बर के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज है, शेष रकबे के अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की सूचना अप्रार्थीगण पर विधिवत् होना प्रमाणित नहीं माना गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने हमारे समक्ष भी ऐसी कोई नवीन दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अप्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर न्यायालय के आदेश की अवमानना कारित की हो। ऐसी स्थिति में निगरानी के 13 वर्ष पश्चात् अवमानना कृत्य को सिद्ध करना सम्भव नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3067/2005/भरतपुर रामलाल बनाम बादामसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	